

न्यायालय सिविल जज (जू. डि.), ठाकुरद्वारा।

मूलवाद संख्या—39/2019

कासम अली

बनाम

जुल्फिकार अली।

07.01.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।
वादी द्वारा न ही स्थगन दिया गया। अतः वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज
होने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रीति मोगा)

सिविल जज (जू. डि.),

ठाकुरद्वारा।